



सभी बीमाकर्ताओं, पुनर्बीमाकर्ताओं, जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद के लिए
परामर्शक

Advisory to All Insurers, Reinsurers, Life Insurance Council and General Insurance Council

12 जून, 2025 को एअर इंडिया उड़ान 171, एक बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, अहमदाबाद, भारत में
सरदार वल्लभभाई पटेल अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के बाद थोड़े ही समय के अंदर बीजे
मेडिकल कालेज छात्रावास पर गिरकर अत्यंत दुःखपूर्ण ढंग से दुर्घटनाग्रस्त हो गई है। यह उड़ान लंदन
गैटविक जा रही थी तथा इसमें 242 लोग सवार थे, जिनमें 230 यात्री और 12 विमानकर्मी शामिल थे।

आईआरडीएआई गहन शोक और परिताप के साथ इस घटना के पीड़ितों के सभी परिवारों के प्रति अपनी
संवेदना व्यक्त करता है।

बीमा क्षेत्र सदा की तरह ऐसी घटनाओं के दौरान बीमा के माध्यम से सहायता प्रदान करने के अपने
उद्देश्य के साथ दावों के निपटान के द्वारा उक्त दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों के परिवारों को शीघ्रतम
संभव सहायता उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता के साथ सेवा में सक्रिय रहेगा।

इस संबंध में, सभी बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाता है कि वे तत्काल निम्नानुसार कार्य करें :

1. संबंधित प्राधिकारियों के द्वारा एक सार्वजनिक तौर पर उपलब्ध यात्री सूची जारी की गई है। चूंकि
सभी यात्रियों के लिए यात्रा हेतु समुद्रपार चिकित्सा बीमा लेना अनिवार्य है, अतः इसके आधार पर
कृपया निम्नलिखित व्यवस्था करें:
 - क. संबंधित प्राधिकारियों से विमान दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की अधिप्रमाणित सूची अर्थात्
विमान के यात्रियों और दुर्घटना स्थल के प्रभावित भवनों में स्थित व्यक्तियों की सूची प्राप्त
करें।
 - ख. **विदेशी चिकित्सा बीमा पालिसियों, वैयक्तिक दुर्घटना पालिसियों और जीवन बीमा
पालिसियों** के निर्गम के संबंध में संबंधित डेटा बेस में उपलब्ध विवरण का सत्यापन करें तथा
इस घटना से संबंधित दावों के निपटान के लिए त्वरित कार्रवाई की प्रक्रियाएँ प्रारंभ करें:
 - i. जहाँ सरकारी पुष्टीकरण (संबंधित प्राधिकारियों से पुष्टीकरण) उपलब्ध हैं, वहाँ
एफआईआर अथवा पोस्ट-मार्टम रिपोर्टें जैसी अपेक्षाओं पर आग्रह न करें।
 - ii. पालिसी में दर्ज किये गये रूप में नामिती के लिए दावे का निपटान करें।
 - iii. यह सुनिश्चित करें कि यात्री-सूची में से पुष्टीकृत दिवंगत व्यक्तियों एवं विमान दुर्घटना के
क्षेत्र में प्रभावित भवनों के व्यक्तियों के मामले में प्रक्रियागत औपचारिकताओं के कारण
किसी भी दावे को अस्वीकृत न किया जाए अथवा उसके निपटान में विलंब न हो।



2. विमान दुर्घटना क्षेत्र में बीजे मेडिकल कालेज छात्रावास और अन्य भवनों में विमान-पतन और टक्कर की घटना के संबंध में, उस अस्पताल में दोनों जीवन बीमा परिषद और साधारण बीमा परिषद द्वारा एक समर्पित संयुक्त कक्ष की व्यवस्था की जाए, जहाँ उक्त दुर्घटना के शिकार व्यक्तियों की चिकित्सा की जा रही है, जिससे किन्हीं स्वास्थ्य बीमा पालिसियों / जीवन बीमा पालिसियों के दावों अथवा अपेक्षित किसी भी अन्य सहायता के संबंध में बीमाकर्ताओं को सूचना का तत्काल प्रचार-प्रसार करने के द्वारा आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।
3. प्रत्येक बीमाकर्ता वरिष्ठ स्तर पर एक नोडल अधिकारी को नामित करे जो उक्त संयुक्त कक्ष के साथ समन्वय करेगा, जो अपनी बीमा कंपनी के दावों के त्वरित निपटान के लिए उत्तरदायी होगा।
4. बीमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे संलग्न फार्मेटों के अनुसार 16 जून, 2025 से प्रारंभ करते हुए प्राधिकरण को साप्ताहिक आधार पर एक रिपोर्ट एक महीने के लिए प्रस्तुत करें तथा उसके बाद दिये जानेवाले निर्देश के अनुसार उक्त रिपोर्ट प्रस्तुत करें।
5. दोनों परिषदें अपनी वेबसाइटों पर बीमाकर्ता-वार सारांश स्तरीय दावों के निपटान का डेटा प्रकाशित करेंगी।

यह एक ऐसी घड़ी है जब प्रभावित परिवारों के लिए सहायता उपलब्ध कराने में सहानुभूति, अनुक्रियाशीलता, और उच्चतम कार्यकुशलता की अपेक्षा की जाती है।

On June 12, 2025, Air India Flight 171, a Boeing 787-8 Dreamliner, tragically crashed into BJ Medical College hostel, shortly after take-off from Sardar Vallabhbhai Patel International Airport in Ahmedabad, India. The flight was en route to London Gatwick and was carrying 242 people, including 230 passengers and 12 crew members.

It is with deep pain and anguish that IRDAI expresses its condolences to all the families of the victims of this incident.

Insurance Sector, as always, given its purpose to support through insurance during such incidents, will remain committed and serve the families of the victims with the quickest possible support through settlement of claims.

In this regard, all insurers are advised to immediately act as under:

1. A publicly available passenger list has been released by the relevant authorities. Since It was mandatory for all the passengers to take overseas medical insurance for the travel, based on this, please arrange to:
 - a. Obtain the authenticated list of the victims of the crash from relevant authorities i.e., passengers in the plane and persons at the affected buildings of the crash area.
 - b. Verify the details, as available in the respective data base of the insurers on issuance of the **Overseas Medical Insurance policies, Personal Accident policies and Life Insurance policies** and initiate fast-track processes for claim settlement relating to this incident:
 - i. Waiving requirements such as FIR or post-mortem reports where official



भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
INSURANCE REGULATORY AND
DEVELOPMENT AUTHORITY OF INDIA

confirmations (confirmation from relevant Authorities) are available.

- ii. Claim settlement to the nominee as recorded in the policy.
 - iii. Ensure that no claim is denied or delayed on account of procedural formalities in the case of confirmed deceased individuals from the passenger list and persons at the affected buildings of the crash area.
2. With regard to the incident of crashing into BJ Medical College hostel and other buildings at the crash area, a dedicated joint cell arranged by both Life Insurance Council and General Insurance Council may be established at the Hospital, where the accident victims are being treated to provide necessary support by disseminating the information to the insurers immediately with respect to claims or any other assistance required for any Health Insurance policies / Life Insurance policies.
3. Each insurer shall nominate a Nodal Officer at Senior level who shall be co-ordinating with the Joint Cell, who will be responsible for speedy settlement of the claims of their Insurance Company.
4. Insurers are requested to submit a report to the Authority starting June 16, 2025 on weekly basis for a month and subsequently, as may be directed as per the formats enclosed.
5. Both the Councils shall publish the insurer-wise summary level claims settlement data on their websites.

This is a moment that calls for compassion, responsiveness, and the utmost efficiency in supporting affected families.

हस्ताक्षरित / sd/-
(जे. मीना कुमारी / J. Meena Kumari)
(कार्यकारी निदेशक / Executive Director)